मुक्त पाठ आधारित मूल्यांकन
2015-16

हिन्दी 'अ' (002) एवं
हिन्दी 'ब' (085)
कक्षा-IX

विषय | पृष्ठ

1. पर्यावरण संरक्षण 1
2. महिला सशक्तिकरण 11

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

शिक्षा केन्द्र, 2, समुदाय केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-1100301, भारत

मुक्त पाठ्य सामग्री (2015-16)
हिन्दी 'अ' (002) एवं 'ब' (085)
1. विषय : *पर्यावरण संरक्षण*

अधिगम उद्देश्य

कक्षा नवीं में 'पर्यावरण संरक्षण' विषय के अंतर्गत इस मुक्त पाठ्य सामग्री में पर्यावरण विघटन की गंभीर समस्या पर चर्चा करते हुए, पर्यावरण संरक्षण पर तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गयी है। इससे शिक्षार्थी इस विषय पर ज्ञानार्जन करके पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सकेंगे और समाज में जागरूकता लाने में सहायक सिद्ध हो सकेंगे।

मानव जीवन प्रकृति पर आश्रित है। प्रकृति एक विराट शरीर की तरह है। जीव-जन्तु, वृक्ष-वनस्पति, नदी-पहाड़ आदि उसके अंग-प्रत्यंग है। इनके परस्पर सहयोग से यह वृहद शरीर स्वस्थ और सन्तुलित है। जिस प्रकार मानव शरीर के किसी एक अंग में खराबी आ जाने से पूरे शरीर के कार्य में बाधाा पड़ती है, उसी प्रकार प्रकृति के घटकों से छेड़छाड़ करने पर प्रकृति की व्यवस्था भी गड़बड़ा जाती है। प्रकृति के साथ दुश्मन की तरह नहीं, वरन दोस्त की तरह काम करना चाहिए। हम दिनों दिन पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति लापरवाह होते जा रहे हैं, जिसके परिणाम भविष्य में घातक हो सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण पर तथ्यात्मक जानकारी हासिल कर आप स्वयं पर्यावरण संरक्षण के महत्त्व को जान समझ सकते हैं, तथा इस अभियान में अपने स्तर पर सतत् प्रयासरत रह सकते हैं।

पर्यावरण संरक्षण

भारतीय संस्कृति में पर्यावरण के संरक्षण को बहुत महत्त्व दिया गया है। यहां मानव जीवन को हमेशा मूर्त या अमूर्त रूप में पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, सूर्य, चन्द्र, नदी, वृक्ष एवं पशु-पक्षी आदि के साहचर्य में ही देखा गया है। पर्यावरण शब्द का अर्थ है हमारे

चारों ओर का वातावरण। पर्यावरण संरक्षण का तात्पर्य है कि हम अपने चारों ओर के वातावरण को संरक्षित करें तथा उसे जीवन के अनुकूल बनाएं रखें। पर्यावरण और प्राणी एक-दूसरे पर आश्रित हैं। यही कारण है कि भारतीय चिंतन में पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा उतनी ही प्राचीन है जितना यहाँ मानव जाति का ज्ञात इतिहास है।

भारतीय संस्कृति का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि यहां पर्यावरण संरक्षण का भाव अति पुरातनकाल में भी मौजूद था पर उसका स्वरूप भिन्न था। उस काल में कोई राष्ट्रीय वन नीति या पर्यावरण पर काम करने वाली संस्थाएं नहीं थीं। पर्यावरण का संरक्षण हमारे नियमित क्रियाकलापों से ही जुड़ा हुआ था। इसी वजह से वेदों से लेकर कालिदास, दाण्डी, पंत, प्रसाद आदि तक सभी के काव्य में इसका व्यापक वर्णन किया गया है। भारतीय दर्शन यह मानता है कि इस देह की रचना पर्यावरण के महत्त्वपूर्ण घटकों- पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से ही हुई है। समुद्र मंथन से वृक्ष जाति के प्रतिनिधि के रूप में कल्पवृक्ष का निकलना, देवताओं द्वारा उसे अपने संरक्षण में लेना, इसी तरह कामधेनु और ऐरावत हाथी का संरक्षण इसके उदाहरण हैं। कृष्ण की गोवर्धन पर्वत की पूजा की शुरुआत का लौकिक पक्ष यही है कि जन सामान्य मिट्टी, पर्वत, वृक्ष एवं वनस्पति का आदर करना सीखें।

जिस प्रकार राष्ट्रीय वन-नीति के अनुसार संतुलन बनाए रखने हेतु 33 प्रतिशत भू-भाग वनाच्छादित होना चाहिए, ठीक इसी प्रकार प्राचीन काल में जीवन का एक तिहाई भाग प्राकृतिक संरक्षण के लिए समर्पित था, जिससे कि मानव प्रकृति को भली-भांति समझकर उसका समुचित उपयोग कर सके और प्रकृति का संतुलन बना रहे। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर पशुओं एवं वृक्षों का अंकन, सम्राटों द्वारा अपने राज-चिह्न के रूप में वृक्षों एवं पशुओं को स्थान देना, गुप्त सम्राटों द्वारा बाज को पूज्य मानना, मार्गों में वृक्ष लगवाना, कुएं खुदवाना, दूसरे प्रदेशों से वृक्ष मंगवाना आदि तात्कालिक प्रयास पर्यावरण प्रेम को ही प्रदर्शित करते हैं। वैदिक ऋषि प्रार्थना करते हैं कि पृथ्वी, जल, औषधि एवं वनस्पतियां हमारे लिए शांतिप्रद हों। ये शांतिप्रद तभी हो सकते हैं जब हम इनका सभी स्तरों पर संरक्षण करें। तभी भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण की इस विराट अवधारणा की सार्थकता है, जिसकी प्रासंगिकता आज इतनी बढ़ गई है। पर्यावरण संरक्षण का समस्त प्राणियों के जीवन तथा इस धरती के समस्त प्राकृतिक परिवेश से घनिष्ठ सम्बन्ध है। प्रदूषण के कारण सारी पृथ्वी दूषित हो रही है और निकट भविष्य में मानव सभ्यता का अंत दिखाई दे रहा है ।

प्रकृति के साथ अनेक वर्षों से की जा रही छेड़छाड़ से पर्यावरण को हो रहे नुकसान को देखने के लिए अब दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। विश्व में बढ़ते बंजर इलाके, फैलते रेगिस्तान, कटते जंगल, लुप्त होते पेड़-पौधों और जीव जंतु, प्रदूषणों से दूषित पानी, कस्बों एवं शहरों पर गहराती गंदी हवा और हर वर्ष बढ़ते बाढ़ एवं सूखे के प्रकोप इस बात के साक्षी हैं कि हमने अपनी धरती और अपने पर्यावरण की ठीक-ठीक देखभाल नहीं की। अब इससे होने वाले संकटों का प्रभाव बिना किसी भेदभाव के समस्त विश्व, वनस्पति जगत और प्राणी मात्र पर समान रूप से पड़ रहा है। आज पूरे विश्व में लोग अधिक सुखमय जीवन की परिकल्पना करते हैं। सुख की इसी असीम चाह का भार प्रकृति पर पड़ता है। विश्व में बढ़ती जनसंख्या, विकसित होने वाली नई तकनीकों तथा आर्थिक विकास ने प्रकृति के शोषण को निरंतर बढ़ावा दिया है। पर्यावरण विघटन की समस्या आज समूचे विश्व के सामने प्रमुख चुनौती है जिसका सामना सरकारों तथा जागरूक जनमत द्वारा किया जाना है।

हम देखते हैं कि हमारे जीवन के तीनों बुनियादी आधार वायु, जल एवं मृदा आज खतरे में हैं। सभ्यता के विकास के शिखर पर बैठे मानव के जीवन में इन तीनों प्रकृति प्रदत्त उपहारों का संकट बढ़ता जा रहा है। बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण न केवल महानगरों में ही बल्कि छोटे-छोटे कस्बों और गाँवों में भी शुद्ध प्राणवायु मिलना दूभर हो गया है, क्योंकि धरती के फेफड़े वन समाप्त होते जा रहे हैं। वृक्षों के अभाव में प्राणवायु की शुद्धता और गुणवत्ता दोनों ही घटती जा रही है। बड़े शहरों में तो वायु प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि लोगों को श्वास संबंधी बीमारियां आम बात हो गई है।

वायु प्रदूषण के लिए वाहन भी कम उत्तरदायी नहीं हैं। बसों, कारों, ट्रकों, मोटर-साइकिलों, स्कूटर, रेलों आदि सभी में पेट्रोल अथवा डीजल ईंधन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। इनसे भारी मात्रा में दम घोंटने वाला काला धुआं निकलता है, जो वायु को प्रदूषित करता है। डीजल वाहनों से जो धुआं निकलता है उनमें हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड तथा सूक्ष्म कार्बन-युक्त कणिकाएं मौजूद रहती हैं। पेट्रोल चलित वाहनों के धुएं में कार्बन मोनो-ऑक्साइड व लेड मौजूद होते हैं। लेड एक वायु प्रदूषक पदार्थ है। डीजल एवं पेट्रोल चालित वाहनों में होने वाले दहन से नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाई-ऑक्साइड भी उत्पन्न होती है जो सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोकार्बन से मिलकर रासायनिक धूम कुहरे को जन्म देते है। यह रासायनिक धूम कोहरा मानव के लिए बहुत खतरनाक है।

भारत के प्रमुख शहरों में मोटर वाहनों द्वारा उत्सर्जित प्रदूषक (टन प्रतिदिन)				
शहर	सूक्ष्म कण	सल्फरडाई ऑक्साइड	नाइट्रोजन ऑक्साइड	कार्बन मोनोक्साइड
दिल्ली	8.58	7.4	105.38	452.51
मुम्बई	4.66	3.36	59.02	391.6
बंगलूरु	12.18	1.47	21.85	162.8
कोलकाता	2.71	3.04	45.58	156.87
चेन्नई	1.95	1.68	23.91	119.35
भारत (अनुमानित औसत)	60	630	270	2040

हमारे लिए हवा के बाद जरूरी है जल। इन दिनों जलसंकट बहु-आयामी है, इसके साथ ही इसकी शुद्धता और उपलब्धता दोनों ही बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि हमारे देश में सतह के जल का 80 प्रतिशत भाग बुरी तरह से प्रदूषित है और भू-जल का स्तर निरंतर नीचे जा रहा है। शहरीकरण और औद्योगीकरण ने हमारी बारहमासी नदियों के जीवन में ज़हर घोल दिया है। हालत यह हो गई है कि मुक्तिदायिनी गंगा की मुक्ति के लिए अभियान चलाना पड़ रहा है। गंगा ही क्यों किसी भी नदी की हालत आज ठीक नहीं कही जा सकती है।

हमारी मृदा का स्वास्थ्य भी उत्तम नहीं कहा जा सकता है। देश की कुल 32 करोड़ 90 लाख हैक्टेयर भूमि में से 17 करोड़ 50 लाख हैक्टेयर जमीन गुणवत्ता के संदर्भ में निम्न स्तर की है। हमारी पहली वन नीति में यह लक्ष्य रखा गया था कि देश का कुल एक तिहाई क्षेत्र वनाच्छादित रहेगा। कहा जाता है कि इन दिनों हमारे यहाँ 9 से 12 प्रतिशत वन आवरण शेष रह गया है। इसके साथ ही अतिशय चराई और निरंतर वन कटाई के कारण भूमि की ऊपरी परत की मिट्टी वर्षा के साथ बह-बह कर समुद्र में जा रही है। इसके कारण बांधों की उम्र कम हो रही है, नदियों में गाद जमने के कारण बाढ़ और सूखे का संकट बढ़ता जा रहा है। आज समूचे विश्व में हो रहे विकास ने प्रकृति के सम्मुख अस्तित्व की चुनौती खड़ी कर दी है।

आज दुनियाभर में अनेक स्तरों पर यह कोशिश हो रही है कि आम आदमी को इस चुनौती के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराया जाए, ताकि उसके अस्तित्व को संकट में डालने वाले तथ्यों की उसे समय रहते जानकारी हो जाए और स्थिति को सुधारने के उपाय भी गंभीरता से किए जा सकें। इसमें लोक चेतना में मीडिया की भूमिका महत्त्वपूर्ण है।

दुनिया में बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में मीडिया में पर्यावरण के मुद्दों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की थी। भारतीय परिदृश्य में देखें तो छठे-सातवें दशक में पर्यावरण से जुड़ी खबरें यदाकदा ही स्थान पाती थी। उत्तराखंड के चिपको आंदोलन और 1972 के स्टाकहोम पर्यावरण सम्मेलन के बाद इन खबरों का प्रतिशत थोड़ा बढ़ा। देश के अनेक हिस्सों में पर्यावरण के सवालों को लेकर जन जागृतिपरक समाचारों का लगातार आना प्रारंभ हुआ। वर्ष 1984 में शताब्दी की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना, भोपाल गैस त्रासदी, के बाद तो समाचार पत्रों में पर्यावरणीय खबरों का प्रतिशत यकायक बढ़ गया। यह त्रासदी इतनी भयानक थी कि इसका असर इतने वर्षों बाद भी देखा जा सकता है।

पर्यावरण संरक्षण के उपायों की जानकारी हर स्तर तथा हर उम्र के व्यक्ति के लिए आवश्यक है। पर्यावरण संरक्षण की चेतना की सार्थकता तभी हो सकती है जब हम अपनी नदियां, पर्वत, पेड़, पशु-पक्षी, प्राणवायु और हमारी धरती को बचा सकें। इसके लिए सामान्य जन को अपने आस-पास हवा-पानी, वनस्पति जगत और प्रकृति उन्मुख जीवन के क्रिया-कलापों जैसे पर्यावरणीय मुद्दों से परिचित कराया जाए। युवा पीढ़ी में पर्यावरण की बेहतर समझ के लिए स्कूली शिक्षा में जरूरी परिवर्तन करना होंगे। पर्यावरण मित्र माध्यम से सभी विषय पढ़ाने होंगे, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी अपने परिवेश को बेहतर ढंग से समझ सके। विकास की नीतियों को लागू करते समय पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव पर भी समुचित ध्यान देना होगा।

प्रकृति के प्रति प्रेम व आदर की भावना, सादगीपूर्ण जीवन पद्धति और वानिकी के प्रति नई चेतना जागृत करनी होगी। आज आवश्यकता इस बात की भी है कि मनुष्य के मूलभूत अधिकारों में जीवन के लिए एक स्वच्छ एवं सुरक्षित पर्यावरण को भी शामिल किया जाये। इसके लिए सघन एवं प्रेरणादायक लोक-जागरण अभियान भी शुरू करना होंगे। आज हमें यह स्वीकारना होगा कि हरा-भरा पर्यावरण, मानव जीवन की प्रतीकात्मक शक्ति है और इसमें समय के साथ-साथ हो रही कमी से हमारी वास्तविक ऊर्जा

में भी कमी आई है। वैज्ञानिकों का मत है कि पूरे विश्व में पर्यावरण रक्षा की सार्थक पहल ही पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों में गति ला सकती है।

पर्यावरण-संरक्षण के कुछ उपाय

घर-परिवार ही सही अर्थों में शिक्षण की प्रथम पाठशाला है और यह बात पर्यावरण शिक्षण पर भी लागू होती है। परिवार के बड़े सदस्य अनेक दृष्टान्तों के माध्यम से ये सीख बच्चों को दे सकते हैं, जैसे कि-

- 'यूज़ एंड थ्रो' की दुनिया को छोड़ 'पुनः सहेजने' वाली सभ्यता को अपनाया जाए।
- अपने भवन में चाहे व्यक्गित हो या सरकारी कार्यालय हो, वर्षा जल-संचयन प्रणाली प्रयोग में लाएं।
- जैविक-खाद्य अपनाएँ।
- पेड़-पौधे लगायें- अपने घर, फ्लैट या सोसाइटी में हर साल एक पौधा अवश्य लगाएं और उसकी देखभाल करके उसे एक पूर्ण वृक्ष बनाएं ताकि वह विषैली गैसों को सोखने में मदद कर सके।
- अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें। सड़क पर कूड़ा मत फेंकें।
- नदी, तालाब जैसे जल स्रोतों के पास कूड़ा मत डालें। यह कूड़ा नदी में जाकर पानी को गंदा करता है।
- कपड़े के थैले इस्तेमाल करें, पॉलिथिन व प्लास्टिक को 'ना' कहें।
- छात्र उत्तरपुस्तिका, रजिस्टर या कॉपी के खाली पन्नों को व्यर्थ न फेकें बल्कि उन्हें कच्चे कार्य में उपयोग करें। पेपर दोनों तरफ इस्तेमाल करें।
- जितना खाएँ, उतना ही लें।
- दिन में सूरज की रोशनी से काम चलायें।
- काम नहीं लिए जाने की स्थिति में बिजली से चलने वाले उपकरणों के स्विच बंद रखें, सी.एफ.एल. का उपयोग कर ऊर्जा बचाएँ।

- वायुमंडल में कार्बन की मात्रा कम करने के लिए सौर-ऊर्जा का अधिकाधिक इस्तेमाल करें, सोलर-कुकर का इस्तेमाल बढ़ाएं, तथा स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करें।
- पानी का प्रयोग करने के बाद नल को तुरंत बंद कर दें। ब्रश एवं शेव करते समय नल खुला न छोड़ें, कपड़े धोने के बाद साबुन वाले पानी से फर्श की सफाई करें।
- फोन, मोबाईल, लैपटाप आदि का इस्तेमाल 'पावर सेविंग मोड' पर करें।
- जितना हो सके ठन्डे पानी से कपड़े धोएँ, 'ड्रायर का प्रयोग न करे'।
- जितना हो सके पैदल चलें- कम दूरी तय करने के लिए पैदल चलें या साईकिल का प्रयोग करें। कार पूल करें या सार्वजनिक वाहन प्रणाली का प्रयोग करें।
- पैकिंग वाली चीजों को कम से कम काम में लें- औद्योगिक कचरे में एक तिहाई अंश इन्हीं का होता है।
- घर में चीजों का भण्डारण दुरुस्त तरीके से हो ताकि उन्हें व्यर्थ होने से बचाया जा सके।
- डिस्पोज़ेबल वस्तुओं जैसे प्लास्टिक के गिलास, पानी की छोटी-छोटी बोतल और प्लेट के प्रयोग से परहेज करें।
- विशिष्ट अवसरों पर एक पौधा अनिवार्यत: उपहार स्वरुप दें।
- कूड़ा करकट, सूखे पत्ते, फसलों के अवशेष और अपशिष्ट न जलाएं। इससे पृथ्वी के अंदर रहने वाले जीव मर जाते हैं और वायु प्रदूषण स्तर में वृद्धि होती है।
- तीन आर- रिसाइकल, रिड्यूस और रियूज का हमेशा ध्यान रखें।

पर्यावरण प्रदूषण पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

पर्यावरण प्रदूषण के सम्बन्ध में अंतर्राष्ट्रीय चिन्ता 20वीं सदी के उत्तरार्द्ध में बढ़ गयी थी। 30 जुलाई, 1968 को मानव पर्यावरण की समस्या पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक तथा सामाजिक परिषद ने प्रस्ताव संख्या 1946 के तहत एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि आधुनिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास के परिप्रेक्ष्य में मानव तथा उसके पर्यावरण के मध्य

सम्बन्धों में महती परिवर्तन हुआ है। सामान्य सभा ने इस बात पर संज्ञानता प्रकट की। वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास ने मानव को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप पर्यावरण को आकार देने के उद्देश्य से अप्रत्याशित अवसरों को जन्म दिया है। यदि इन अवसरों को नियंत्रित ढंग से उपयोग नहीं किया गया तो अनेक गम्भीर समस्याएँ उत्पन्न होंगी। सामान्य सभा ने जल प्रदूषण, क्षरण तथा भूमि के विनिष्टीकरण के अन्य प्रारूप, ध्वनि, कूड़ा-करकट तथा कीटनाशकों के गौण प्रभावों पर भी विचार किया। मानव पर्यावरण की कुछ समस्याओं पर संयुक्त राष्ट्र संघ तथा उसकी अन्य एजेन्सियाँ यथा - अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अभिकरण आदि कार्य कर रहे हैं।

मानव पर्यावरण स्टॉकहोम सम्मेलन

इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवीय पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार की विश्वव्यापी समस्या का निदान करना था। पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यह पहला प्रयास था। इस सम्मेलन में 119 देशों ने पहली बार 'एक ही पृथ्वी' का सिद्धांत स्वीकार किया। इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) का जन्म हुआ। सम्मेलन में मानवीय पर्यावरण का संरक्षण करने तथा उसमें सुधार करने के लिए राज्यों तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को दिशा-निर्देश दिये गये। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा इसी सम्मेलन में की गई।

सन् 1992 में ब्राजील में विश्व के 174 देशों का 'पृथ्वी सम्मेलन' आयोजित किया गया। इसके पश्चात सन् 2002 में जोहान्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित कर विश्व के सभी देशों को पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देने के लिए अनेक उपाय सुझाए गये। वस्तुत: पर्यावरण के संरक्षण से ही धरती पर जीवन का संरक्षण हो सकता है, अन्यथा मंगल आदि ग्रहों की तरह धरती का जीवन-चक्र भी एक दिन समाप्त हो जायेगा।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम

19 नवंबर 1986 से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। तदनुसार जल, वायु, भूमि - इन तीनों से संबंधित कारक तथा मानव, पौधों, सूक्ष्म-जीव, अन्य जीवित पदार्थ आदि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के कई महत्त्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे -

1. पर्यावरण की गुणवत्ता के संरक्षण हेतु सभी आवश्यक कदम उठाना।

2. पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन हेतु राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना और उसे क्रियान्वित करना।

3. पर्यावरण की गुणवत्ता के मानक निर्धारित करना।

4. पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित अधिनियमों के अंतर्गत राज्य-सरकारों, अधिकारियों और संबंधितों के काम में समन्वय स्थापित करना।

5. ऐसे क्षेत्रों का परिसीमन करना, जहाँ किसी भी उद्योग की स्थापना अथवा औद्योगिक गतिविधियां संचालित न की जा सकें। उक्त-अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है।

इस बार 2015 का विश्व पर्यावरण दिवस बड़ी चेतावनी दे रहा है। अगर दुनियाभर में प्राकृतिक संसाधनों का सोच-समझकर और संभलकर उपयोग नहीं किया गया, तो धरती लोगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएगी। संयुक्त राष्ट्र ने इस बार विश्व पर्यावरण दिवस पर इस वर्ष के लिए विषय ही प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन और संभलकर इनका इस्तेमाल करने को बनाया है। देश, धर्म और जाति की दीवारों से परे यह ऐसा मुद्दा है जिस पर पूरी दुनिया के लोगों को एक होना होगा। पर्यावरण संरक्षण सिर्फ भाषणों, फिल्मों, किताबों और लेखों से ही नहीं हो सकता, बल्कि हर इंसान को धरती के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी समझनी होगी, तभी कुछ ठोस प्रभाव नज़र आ सकेगा।

संदर्भ

- http://hindi.indiawaterportal.org
- http://hi.bharatdiscovery.org

आदर्श प्रश्न

1. 'पर्यावरण संरक्षण' के लिए आप कुछ दैनिक जीवन से संबंधित गतिविधियों का सुझाव दीजिये जो विद्यालय में सामूहिक स्तर पर की जा सकें तथा जिनका उल्लेख इस पाठ्य सामग्री में न हो। (5)
2. भारत में 'पर्यावरण संरक्षण' के लिए समय-समय पर कदम तो उठाए जा रहे हैं पर उनमें अपेक्षित सफलता अभी तक नहीं मिल पाई है। इसके क्या-क्या कारण हो सकते हैं? (5)

अंक योजना

उत्तर-1	उत्तर की रूपरेखा		मूल्य बिन्दु
	अवलोकन	तथ्यों का गहन अध्ययन	मूल्यांकन और विश्लेषण
	कारण	पर्यावरण प्रदूषण के दुष्परिणामों का उल्लेख एवं प्रभाव	ज्ञान का प्रयोग
	सुझाव	नवीन विचार प्रस्तुतीकरण	सृजन (नई बात बताना)
उत्तर-2	**उत्तर की रूपरेखा**		**मूल्य बिन्दु**
	अवलोकन	तथ्यों का गहन अध्ययन	मूल्यांकन और विश्लेषण
	कारण	देश में पर्यावरण संरक्षण के लिए होने वाली योजनाओं का उल्लेख एवं उनकी असफलता के कारण	ज्ञान का प्रयोग
	सुझाव	नवीन विचार प्रस्तुतीकरण	सृजन (नई बात बताना)

मुक्त पाठ्य सामग्री (2015-16)
हिन्दी 'अ' (002) एवं 'ब' (085)

2. विषय : *महिला सशक्तिकरण*

अधिगम उद्देश्य

कक्षा नवीं में 'महिला सशक्तिकरण' के अंतर्गत इस मुक्त पाठ सामग्री में भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में आए सुधार और सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदमों पर तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई है। शिक्षार्थी कक्षा में और अपने परिवार में इस विषय पर चर्चा करेंगे और ऐसी सोच-समझ के वाहक बनेंगे जो समाज में एक ऐसा स्वस्थ वातावरण बनाने में सहायक सिद्ध हो जहाँ नारी सुरक्षित, सम्मानित और सशक्त हो।

आज की नारी में छटपटाहट है आगे बढ़ने की, जीवन और समाज के हर क्षेत्र में कुछ करिश्मा कर दिखाने की, अपने अविराम अथक परिश्रम से नया सवेरा लाने की तथा ऐसी सशक्त इबारत लिखने की जिसमें महिला अबला न रहकर सबला बन जाए। अब यह अवधारणा मूर्त रूप ले रही है। आज स्थिति यह है कि कानून और संविधान में प्रदत्त अधिकारों का संबल लेकर नारी अधिकारिता के लम्बे सफर में कई मील-पत्थर पार कर चुकी है। लेकिन फिर भी उसके लिए अभी कई और मंजिलों को छूना बाकी है।

हम यहाँ इस विषय को आपके अध्ययन हेतु क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं? या फिर महिला सशक्तिकरण क्यों जरूरी है? इन प्रश्नों पर आप अपने विद्यालय, परिवार में चर्चा करें। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जानें, समझें और समाज में जागरूकता लाने के लिए सतत प्रयासरत रहें।

'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:'
(अर्थात् जहां नारी की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं।)

नारी के बिना किसी समाज की रचना संभव नहीं हैं। समाज में नारी एक उत्पादक की भूमिका निभाती हैं। नारी के बिना एक नये जीव की कल्पना नहीं की जा सकती।

महिला सशक्तिकरण, भौतिक या आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक, सभी स्तर पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है। महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण में शिक्षा की अहम भूमिका है। शिक्षा सम्पूर्ण अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करके विकास और उन्नति के मार्ग खोलती है। यह महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रथम एवं मूलभूत साधन है क्योंकि महिला के शिक्षित होने पर उनमें जागरूकता, चेतना आएगी, अधिकारों की सजगता होगी, रूढ़ियां, कुरीतियां, कुप्रथाओं का अन्धेरा छंटेगा और वैचारिक क्रान्ति से प्रकाश पुंज फूट निकलेगा। शिक्षा के माध्यम से महिलाएं समाज में सशक्त, समान एवं महत्त्वपूर्ण भूमिका दर्ज करा सकती हैं। शिक्षित महिलाएं न केवल स्वयं आत्मनिर्भर एवं लाभान्वित होती हैं अपितु भावी पीढ़ियां भी लाभान्वित होतीं हैं।

भारत में महिला एवं पुरुष की शिक्षा में विभेदीकरण पाया जाता है। वैश्विक परिदृश्य पर एक नजर डाले तो यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार महिला साक्षरता की स्थिति विश्व के कुछ देशों में इस प्रकार है–

क्र० सं०	देश	साक्षरता (प्रतिशत)
1.	रूस	99.8
2.	चीन	98.5
3.	ब्राजील	97.9
4.	नाईजीरिया	86.5
5.	भारत (2011)	65.46

भारत में साक्षरता (महिला)

क्र० सं०	वर्ष	साक्षरता (प्रतिशत)
1.	1951	8.9

2.	1961	15.4
3.	1971	22.0
4.	1981	29.8
5.	1991	39.3
6.	2001	53.7
7.	2011	65.46

भारत में लिंगानुपात

भारतीय परिप्रेक्ष्य में लिंगानुपात को देखा जाए तो सदैव 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या उससे कम ही रही है। वर्ष 1951 से लिंगानुपात पर दृष्टि डालें तो इसमें उतार-चढ़ाव आते रहे हैं, परन्तु कोई विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं दिए जिसे निम्न तालिका में देखा जा सकता है-

क्र० सं०	वर्ष	लिंगानुपात
1.	1951	946
2.	1961	941
3.	1971	930
4.	1981	934
5.	1991	927
6.	2001	933
7.	2011	940

यदि हम भारत में लिंग आधारित सामाजिक भेदभाव के बारे में विचार करते हैं तो यह घर से ही प्रारंभ हो जाते हैं। लड़के-लड़कियों के जन्म, खान-पान, पालन-पोषण, उठने-बैठने, बाहर आने जाने, कार्यप्रणाली, स्वास्थ्य आदि के बारे में किया जाने वाला भेदभाव उनके भावी जीवन के प्रमुख अवसरों पर प्रतिकूल असर डालता है। यह स्त्री-पुरूष के बीच गहरी असमानता को जन्म देता है, महिलाओं को हीन भावना और कुंठाओं से ग्रस्त करता है। इस तरह की लैंगिक असमानता हमारे परिवार, समुदाय, समाज और देश की प्रगति के लिए ठीक नहीं है। एक नागरिक होने के नाते हम सबको एक सकारात्मक सोच के साथ मिल-जुल कर लैंगिक असमानता की सामाजिक तस्वीर को बदलने का प्रयास करना चाहिए।

भूमण्डलीकरण के दौर में स्त्री-पुरुष की समानता की दुहाई देने वाले हमारे समाज में बीमार होने पर महिलाओं को गम्भीर स्थिति में ही अस्पताल ले जाया जाता है। आज भी देश में प्रसवपूर्व सेवाएं शोचनीय दशा में हैं। केवल 53.8 प्रतिशत को टिटनेस टॉक्साइड के टीके मिल पाते हैं, 40 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं का रक्त चाप लिया जाता है। अभी भी 2/3 प्रसव घर पर ही हो रहे हैं। केवल 43 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाएं प्राप्त हैं। शिशु जन्म के उपरान्त भी महिलाओं को बहुत कम और कन्या शिशु के मामले में कोई देखभाल उपलब्ध नहीं होती। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में एक लाख पच्चीस हजार महिलाएं गर्भधारण के पश्चात् मौत का शिकार हो जाती हैं। प्रत्येक वर्ष एक करोड़ बीस लाख लड़कियां जन्म लेती हैं लेकिन तीस प्रतिशत लड़कियां 15 वर्ष से पूर्व ही मृत्यु का शिकार हो जाती हैं। गर्भवती महिलाओं पर दृष्टि डालें तो पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 72 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं निरक्षर हैं। ऐसी स्थिति में वे गर्भधारण करने की उम्र, पौष्टिकता, भारी काम, काम के घण्टों, स्वास्थ्य जांच आदि से वंचित रहती हैं और सब कुछ भगवान पर छोड़ देती हैं। अब महिलाओं को समझना होगा कि आज समाज में उनकी दयनीय स्थिति भगवान की देन न होकर समाज में चली आ रही परम्पराओं का परिणाम है। इस स्थिति को बदलने का बीड़ा महिलाओं को स्वयं उठाना होगा। जब तक वह स्वयं अपने सामाजिक स्तर पर आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं करेगी, तब तक समाज में उनका स्थान गौण ही रहेगा।

इतिहास में कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ स्त्रियों ने अपनी प्रतिभा, वीरता और साहस का परिचय दिया हैं। बिजली की कौंध सी दमक दिखाती हुई भारत वर्ष के आकाश पटल पर अवतरित हुई मुगल काल में रजिया सुलतान, नूरजहाँ और जोधाबाई ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शासन किया, जीजाबाई ने वीर शिवाजी

को वीरता का पाठ पढाया, रानी पद्मिनी और मीरा बाई ने अलग ही तरह की वीरता दिखाई, 1857 के अंग्रेजों के विरुद्ध संग्राम में रानी लक्ष्मी बाई, और फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस की सेना की कप्तान लक्ष्मी सहगल, दुर्गा भाभी का योगदान हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई में कौन भूल सकता है? और भी न जाने कितनी ही जुझारू स्त्रियाँ हैं जिनका नाम नहीं जाना गया पर किसी न किसी स्तर पर इनका योगदान अतुलनीय था। इस समय में राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद सरस्वती का उपकार माने बिना नहीं रह सकते जिन्होंने स्त्री को पुरुष के समकक्ष बनाने की पहल की, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरूद्ध कानून बनवाया और दयानंद जी ने स्त्री शिक्षा और पर्दा प्रथा को समाप्त करवाने की पहल की। इन दोनों को महिला सशक्तिकरण का प्रणेता, पथ प्रदर्शक और युग प्रवर्तक कहा जाए तो अतिशियोक्ति न होगी!

नारी सशक्तिकरण का मतलब बड़े रोजगार ही नहीं हैं, न ही इसका क्षेत्र महानगरों या शहरों तक सीमित रखा जा सकता है। महात्मा गांधी कहते थे कि गांवों में किसान खुशहाल होंगे तो देश अपने आप खुशहाल हो जाएगा। यह बात नारी सशक्तिकरण पर भी लागू होती है। ग्रामीण महिलाएं सदियों से घर–खेत में पुरुषों के बराबर ही काम करती आयी हैं, लेकिन वहां उन्हें सामंती सोच के कारण दूसरे दर्जे का नागरिक ही माना जाता रहा है। ग्रामीण समाज की सोच बदलने का वक्त अब आ गया है। आज भी हमारी जनसंख्या की बहुसंख्या गांवों में ही है। इसलिए महिलाओं की बेहतरी के लिए गांवों में पहल की जानी चाहिए। ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों के चुनावों में महिलाओं की बढ़ती संख्या से हालात में बदलाव आना शुरू ज़रूर हो चुका है, मगर इसमें और तेज़ी लाने की ज़रूरत है। करीब आठ दशक पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने एक कविता लिखी थी– 'वह तोड़ती पत्थर।' महिलाएं आज भी करीब–करीब इसी भूमिका में हैं। खासकर गांवों, कस्बों और छोटे शहरों में। उन्हें अपने श्रम का समान मूल्य नहीं मिलता। घर संभालने और बच्चों को पालने को तो उनका नैसर्गिक दायित्व ही माना जाता है। ऐसा है भी, मगर इसमें लगने वाले उनके समय और श्रम का शायद ही कभी कोई आकलन किया गया हो। हालांकि यह भी एक 'उत्पादक' कार्य है और किसी भी समाज या देश की प्रगति तथा खुशहाली में इसका महत्त्वपूर्ण योगदान होता है।

आज महिलाएं घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर रूढ़ीवादी प्रवृत्तियों को पार कर विभिन्न व्यवसायों एवं सेवाओं में कार्यरत हैं, जिनसे आर्थिक आत्मनिर्भरता भी आ रही है। वे केवल आर्थिक रूप से सुदृढ़

ही नहीं हुई, अपितु समाज एवं परिवार की सोच में भी सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने प्रारम्भ हो गए हैं। महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में स्वयं के बल पर आगे बढ़ रही हैं और ये संकेत मिलना शुरू हो गया है कि चाहे सामाजिक क्षेत्र में शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा या अन्य शिक्षा हो, सभी जगह महिलाओं ने अपना परचम फहराया है। चाहे संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो या राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हों महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं हैं। बैंकिंग, आईटी, मेडिकल, शिक्षा, इंजिनियरिंग, बिजनेस और उद्यमिता हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी योग्यता का लोहा मनवाया है। देश भर में 10 वीं और 12 वीं की परीक्षाओं में हर साल लड़कियां ही लड़कों से बाजी मारती रही हैं। खेलों, फिल्मों, सौन्दर्य प्रतियोगिताओं, पत्रकारिता, लेखन आदि में भी महिलाओं ने अपने आपको स्थापित किया है। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, जज, प्रशासनिक अधिकारी जैसे पदों पर महिलाएं आ रही हैं। राजनीति में तो वार्ड पंच, सरपंच, प्रधान, प्रमुख, विधानसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, राज्य सभा सदस्य, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे पदों पर अपना दमखम दिखाने में पीछे नहीं हैं।

आज के युग में महाकवि निराला, जिन्होंने लिखा 'तोड़ो तोड़ो कारा तोड़ो' और कैफ़ी आज़मी जिन्होंने कहा तुमको मेरे साथ ही चलना होगा- आदि लिख कर महिलाओं का आह्वाहन किया कि वो मुख्य धारा में आए, अपने बंधनों से मुक्त हों और पुरुषों के साथ कंधों से कन्धा मिला कर चलें! महिलाओं को भी ये समझना चाहिए की अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अपितु उनके लिए संघर्ष करना ही पड़ता है, कोई भी आपको थाली में सजा कर उपहार स्वरुप आपके अधिकार नहीं देता।

देश के संविधान में महिलाओं को सदियों पुरानी दासता एवं गुलामी की जंजीरों से मुक्ति दिलाने के प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 37, 39(बी), 44 तथा अनुच्छेद 325 स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकारों की पुष्टि करते हैं।

वर्तमान समय में लोग बेटियों को बोझ नहीं समझें और दुनिया में आने से पहले मारे नहीं इसलिए सरकार ने बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत की है-

लाडली योजना

लाडली योजना को दिल्ली सरकार द्वारा सन 2008 में लागू किया गया। जनवरी 2008 और उसके बाद पैदा हुई लड़कियों को जन्म से ही इस योजना का लाभ मिल रहा है। लाडली योजना के अंतर्गत दिल्ली

के किसी भी अस्पताल / नर्सिंग होम अथवा संस्था में जन्म लेने वाली बालिका को 11,000 रुपये दिए जाते हैं और यदि बालिका का जन्म इसके अलावा कहीं और हुआ हो तो उसे 10,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। यह धनराशि बालिका के खाते में जमा करवाई जाती है। इसके अलावा कक्षा एक, छह और नौ में दाखिले के समय भी बालिका के खाते में प्रत्येक बार पांच हजार रुपये जमा करवाए जाते हैं। कक्षा 10 पास करने पर तथा 12वीं में दाखिला लेने पर भी 5-5 हजार रुपये इनके खाते में जमा करवाए जाने का नियम लाडली योजना में है। 18 वर्ष की उम्र पूरी करने पर और कक्षा 10 उत्तीर्ण करने के बाद ही बालिका इस पूरी रक़म को ब्याज सहित अपने खाते से निकाल सकती है।

किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (आर.जी.एस.ई.ए.जी) - सबला

11-18 वर्ष के आयु वर्ग में किशोरियों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधाार लाने और जीवन कौशल, स्वास्थ्य और पोषण में शिक्षा प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना सबला नवम्बर, 2010 में शुरु की।

'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना'

वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने देश में लड़कियों के साथ भेदभाव रोकने के लिए एक नए अभियान की शुरुआत की है। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' नाम के इस अभियान का जोर खासतौर से कन्या भ्रूणहत्या को रोकने पर है। बालिकाओं के अस्तित्व को बचाने, उनके संरक्षण और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए समन्वित और सम्मिलित प्रयासों की आवश्यकता है जिसके लिए सरकार ने "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" पहल की घोषणा की है। इसे एक राष्ट्रीय अभियान के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से उन 100 जिलों का चयन किया जाएगा जहाँ बाल लिंग अनुपात सबसे कम है और फिर वहां विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित कर कार्य किया जाएगा। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है-

1. कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम।

2. बालिकाओं के अस्तित्व को बचाना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना।

3. बालिकाओं की शिक्षा और भागीदारी सुनिश्चित करना।

उड़ान परियोजना - एक कार्यक्रम जो छात्राओं को पंख दे

UDAAN

A program to give wings to girl students

स्कूल स्तर पर विज्ञान और गणित के शिक्षण को समृद्ध करने हेतु एवं स्कूल शिक्षा और इंजीनियरिंग प्रवेश द्वार के बीच शिक्षण की खाई को पाटने के लिए, सी.बी.एस.ई ने एक परियोजना शुरू की है जिसमें देश में प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेजों की प्रवेश परीक्षा हेतु कक्षा ग्यारहवीं और बारहवीं की छात्राओं को निःशुल्क ऑनलाइन संसाधन प्रदान कराये जा रहे हैं।

उड़ान परियोजना का उद्देश्य है प्रतिष्ठित संस्थानों में छात्राओं के कम नामांकन अनुपात को संबोधित करना एवं इन संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रोत्साहित करना। इसके अलावा इस परियोजना का उद्देश्य है कि स्कूलों से उच्च शिक्षा प्राप्त कर ऊंची उड़ान भरने की इच्छुक छात्राओं को सक्षम किया जाए ताकि वे भविष्य में विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व की भूमिका में आ सकें।

महिला सशक्तिकरण किसी कानून के तहत नहीं हो सकता। हाँ, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार कम हो सकते हैं पर उनका सशक्तिकरण करने के लिए हमें भारत की बुनियादों में जा कर ही हल ढूँढना होगा। भारत की बुनियाद भारत के गाँव हैं। गाँवों में सरकार को ऐसे कार्यक्रम चलाने होंगे जो घर-घर में महिलाओं को उनके हक के बारे में बताए और उनके प्रति संवेदनशील बनाएँ। जब वह अपने स्वत्वाधिकार के बारे में जानने लगेंगी तो उनकी पारिवारिक, सामाजिक और राजनैतिक मुख्य धारा में क्रियाशील सहभागिता होने लगेगी और स्थिरतापूर्वक वो सशक्त होती रहेंगी। जिस तरह सरकार के प्रयासों से हमने पोलियो को अपने देश से निकाल फेंका है, ठीक उसी तरह महिलाओं पर चढ़े इस नक़ाब को भी देश-निकाला दिया जा सकता है। ज़रूरत है एक देशव्यापी प्रयास की, सही मायनों में इस दिशा में कदम बढ़ाने की, इन सभी आंदोलनों में स्वयं महिलाओं को खुद अग्रिम पंक्ति में खड़ा होना होगा क्योंकि उनके हक की लड़ाई उन्हें खुद लड़नी है।

संदर्भ

- http://india.gov.in
- http://delhi.gov.in
- http://wcd.nic.in
- http://cbseonline.nic.in

आदर्श प्रश्न

1. लड़कियों के बेहतर जीवन और समाज में वांछित लिंगानुपात में शिक्षा की भूमिका कितनी कारगर हो सकती है? (5)

2. 'महिला सशक्तिकरण से परिवार, समाज और देश सभी का कल्याण होगा' - क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने विचार लिखिये। (5)

अंक योजना

उत्तर-1	उत्तर की रूपरेखा		मूल्य बिन्दु
	अवलोकन	तथ्यों का गहन अध्ययन	मूल्यांकन और विश्लेषण
	कारण	लिंगानुपात में अंतर के कारणों का उल्लेख	ज्ञान का प्रयोग
	सुझाव	शिक्षा की भूमिका, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार आदि का उल्लेख। नवीन विचारों का समावेशन	सृजन (नई बात बताना)
उत्तर-2	**उत्तर की रूपरेखा**		**मूल्य बिन्दु**
	अवलोकन	तथ्यों का गहन अध्ययन	मूल्यांकन और विश्लेषण
	कारण	महिला सशक्तिकरण का महत्व, देश में महिलाओं के उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं का उल्लेख।	ज्ञान का प्रयोग
	सुझाव	नवीन विचार प्रस्तुतीकरण	सृजन (नई बात बताना)

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

शिक्षा केन्द्र, 2, समुदाय केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली–110301, भारत

फोन: 011-22509256-59 • वेबसाइट: www.cbse.nic.in